न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 50/2019 निर्णय दिनांक – 09.05.2019

चम्पालाल पिता प्रेमचन्द धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. अमरचंद पिता प्रेमचंद धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
2. कंचन बाई पिता प्रेमचंद धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
3. जगदीश पिता राधाकिशन धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
4. बंशीलाल पिता राधाकिशन धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
5. रामकन्या पत्नी रामलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
6. राजेश पिता रामलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
7. बिहारीलाल पिता मांगीलाल भील, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
8. शोभालाल पिता नाथुलाल भील, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
9. भैरूलाल पिता शंकरलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
10. कन्हैयालाल पिता नाथुलाल धाकड़, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
11. शंकरलाल पिता हरलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी कोचवा।
12. बद्रीलाल पिता हरलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी कोचवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कोचवा की खाता संख्या 79 की आराजी नं. 1059 रकबा 1.0900 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कोचवा की खाता संख्या 79 की आराजी नं. 1059 रकबा 1.0900 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 09.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 18:41:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official